पत्रांक सं0–2प0 / प०स०भ०–09–44 / 2020 / 75(स्वी०) / पं०रा०

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

नजर हुसैन,
अपर सचिव

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक 27 / 1 / 2026

विषयः **गोपालगंज एवं सुपौल जिलान्तर्गत ग्राम पंचायत के माध्यम से निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवनों हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल ₹ 18,65,65,340.00 (अठारह करोड़ पैंसठ लाख पैंसठ हजार तीन सौ चालीस रूपये) मात्र की राशि की स्वीकृति।**

आदेशः **स्वीकृत।**

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय राज्यादेश संख्या 03(स्वी०) दिनांक 03.06.2019 द्वारा ₹ 1642.09 करोड़ (सोलह सौ बयालीस करोड़ नौ लाख रूपये) की लागत से 1435 पंचायत सरकार भवनों तथा विभागीय राज्यादेश सं0–03 (स्वी0) दिनांक 12.05.2021 द्वारा ₹ 3,11,75,91,965.00 (तीन सौ ग्यारह करोड़ पचहत्तर लाख इक्यानवे हजार नौ सौ पैंसठ रूपये) मात्र की लागत से 244 पंचायत सरकार भवनों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है।

2. उक्त के आलोक में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–15 (स्वी०) दिनांक–02.06.2025 के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2025–26 में ग्राम पंचायत के माध्यम से निर्माणाधीन गोपालगंज जिला में कुल 23 पंचायत सरकार भवनों हेतु अधियाचित राशि ₹ 18,54,67,922.00 के विरूद्ध राज्य योजना मद से कुल ₹ 6,26,32,000.00 राशि तथा सुपौल में कुल 13 पंचायत सरकार भवनों हेतु अधियाचित राशि ₹ 11,24,22,500.00 के विरूद्ध कुल ₹ 4,74,74,000.00 राशि आवंटित की गयी है।

जिला पंचायत राज पदाधिकारी, गोपालगंज का पत्रांक–2112 दिनांक–23.08.2025 द्वारा ₹ 12,28,35,922.00 (बारह करोड़ अठाईस लाख पैंतीस हजार नौ सौ बाईस रूपये) मात्र तथा जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सुपौल का पत्रांक–1885–2 दिनांक–03.11.2025 द्वारा ₹ 6,37,29,418 (छः करोड़ सैंतीस लाख उनतीस हजार चार सौ अठारह रूपये) मात्र का आवंटन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

3. उक्त के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य योजना मद से गोपालगंज एवं सुपौल जिलान्तर्गत ग्राम पंचायत के माध्यम से निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवनों हेतु प्राप्त अधियाचना के आलोक में अनुलग्नक–1 के अनुरूप कुल ₹ 18,65,65,340.00 (अठारह करोड़ पैंसठ लाख पैंसठ हजार तीन सौ चालीस रूपये) मात्र की राशि की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

कृ०पृ०उ०

D:\2025\Rahul sir\Swikrityadesh 02.05.25.doc

4. इस स्वीकृत राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य स्कीम मद के "मुख्य–शीर्ष–4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु–शीर्ष–101–पंचायती राज–उप शीर्ष–0108–पंचायत सरकार भवन" अंतर्गत "विषय शीर्ष–0108.53.01–मुख्य निर्माण कार्य" से किया जायेगा। इसका मांग संख्या–16 एवं विपत्र कोड 16–4515001010108 है।

5. इस स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्यय विभागीय राज्यादेश संख्या 03(स्वी०) दिनांक 03.06.2019 एवं विभागीय राज्यादेश सं0–03 (स्वी0) दिनांक 12.05.2021 में निहित अनुदेशों के आलोक में किया जायेगा।

6. इस स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला पंचायत राज पदाधिकारी होंगे। इस स्वीकृत राशि को पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु संबंधित ग्राम पंचायत को मापीपुस्त के आलोक में CFMS के माध्यम से ग्राम पंचायत के खाते में जिला पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

7. इस योजना पर व्यय की जाने वाली राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में नियमानुसार जिला पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा ताकि इसे महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना कार्यालय में समायोजित कराया जा सके।

8. इस राशि की निकासी के लिए विभाग द्वारा अलग से आवंटनादेश निर्गत किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी। संबंधित जिला के जिला पंचायत राज पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे इस स्वीकृत राशि का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन यथाशीघ्र विभाग को उपलब्ध करायेंगे। राशि के निकासी एवं व्यय में किसी प्रकार की अनियमितता/विचलन पायी जाती है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेवारी संबंधित जिला के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

9. वित्त विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक 7355 दिनांक 05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार कार्यालय से प्राधिकार–पत्र की आवश्यकता नहीं है।

10. यदि उक्त जिला में अधियाचित/आवश्यक राशि से अधिक राशि आवंटित हो जाती है तो संबंधित जिला पंचायत राज पदाधिकारी इसकी सूचना विभाग को देते हुये अतिरिक्त राशि विभाग को प्रत्यार्पित किया जाना सुनिश्चित करेगें।

11. इस स्वीकृत्यादेश पर माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या–2प0/प०स०भ०–09–44/2020 के पृष्ठ 212/टि० पर दिनांक 21/01/2026 .... को प्राप्त है।

12. इस स्वीकृत्यादेश पर सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या–2प0/प०स०भ०–09–44/2020 के पृष्ठ 212/टि० पर दिनांक 11/12/2025 को प्राप्त है।

13. इस स्वीकृत्यादेश पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–2प0/प०स०भ०–09–44/2020 के पृष्ठ 210/टि० पर दिनांक 08/12/2025 को प्राप्त है।

14. इस स्वीकृत्यादेश का प्रत्येक पृष्ठ अपर सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित है।

विश्वासभाजन

22/1/26

(नजर हुसैन)
अपर सचिव

ज्ञापांकः 2प0/प०स०भ०–09–44/2020/75(स्वी०)/ पटना, दिनांक 27/1/2026
प्रतिलिपिः जिला पदाधिकारी/उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद/अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, गोपालगंज एवं सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/1/26

(नजर हुसैन)
अपर सचिव

ज्ञापांकः 2प0/प०स०भ०–09–44/2020/75(स्वी०)/ पटना, दिनांक 27/1/2026
प्रतिलिपिः कोषागार पदाधिकारी, गोपालगंज एवं सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/1/26

(नजर हुसैन)
अपर सचिव

ज्ञापांकः 2प0/प०स०भ०–09–44/2020/75(स्वी०)/ पटना, दिनांक 27/1/2026
प्रतिलिपिः प्रधान सचिव, वित्त विभाग/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/1/26

(नजर हुसैन)
अपर सचिव

ज्ञापांकः 2प0/प०स०भ०–09–44/2020/75(स्वी०)/ पटना, दिनांक 27/1/2026
प्रतिलिपिः, माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रभारी पदाधिकारी–05 (बजट शाखा), 06 एवं 07 (उपयोगिता प्रमाण–पत्र कोषांग)/उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/1/26

(नजर हुसैन)
अपर सचिव

ज्ञापांकः 2प0/प०स०भ०–09–44/2020/75(स्वी०)/ पटना, दिनांक 27/1/2026
प्रतिलिपिः आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

22/1/26

(नजर हुसैन)
अपर सचिव

अनुलग्नक–1

वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य योजना मद से गोपालगंज एवं सुपौल जिलान्तर्गत ग्राम पंचायत के माध्यम से निर्माणाधीन कुल 36 पंचायत सरकार भवनों हेतु कुल ₹ 18,65,65,340.00 (अठारह करोड़ पैंसठ लाख पैंसठ हजार तीन सौ चालीस रूपये) मात्र की राशि की स्वीकृति की विवरणी:–

क्र०सं०	जिला का नाम	पंचायतों की संख्या	वित्तीय वर्ष 2025–26 में स्वीकृत राशि
1	गोपालगंज	23	**₹ 12,28,35,922.00**
2.	सुपौल	13	**₹ 6,37,29,418.00**
कुल		36	**₹ 18,65,65,340.00** (अठारह करोड़ पैंसठ लाख पैंसठ हजार तीन सौ चालीस रूपये) मात्र

(नजर हुसैन)
अपर सचिव